

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला राजस्व एवं भूमि सुधार प्रशाखा)
पत्रांक 41-15/2021-524/जिला भू0सु0, दिनांक 06-03-2022

प्रेषक,

समाहर्ता,
वैशाली।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
-सह- अपर विधि परामर्शी,
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार विधान सभा में दिनांक- 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

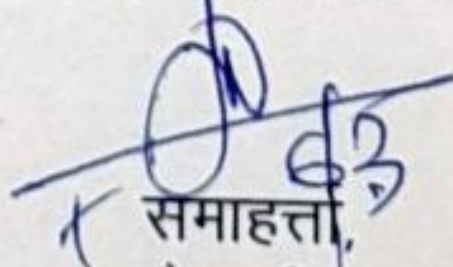
प्रसंग :- भवदीय पत्र सं0-LRT-02-वि0स0(ध्याना0)- 13/2022- 1255/जे0 दिनांक- 05.03.22
महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में माननीय बिहार विधान सभा द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित उत्तर सामग्री कंडिकावार भेजा जाता है। जो निम्नवत है:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NO- 336750 OF 2017) के अनुसार कंडिका- 27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदारी नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	स्वीकारात्मक। सेवादार द्वारा धार्मिक न्यास पर्वद की परिसम्पत्तियों की अवैध बिक्री न करें। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/ अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/ जिलावार खाता, खेसरा, रकवा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमंडल में 5333 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।	स्वीकारात्मक। अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निबंधित परिसम्पत्तियों की सं0- 79, अनिबंधित की सं0-438 कुल सं0- 517 है तथा कुल रकवा- 820.946 एकड़ है।
3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि को पैराईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	जिला अन्तर्गत धार्मिक न्यास के चिन्हित/सर्वेक्षित मठ मंदिर की भूमि की मापी कार्य प्रगति पर है। तत्पश्चात् पिलरिंग हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिस पर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। मठों/मंदिरों के जमीन का सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में है। यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

विश्वसभाजन

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।


समाहर्ता,
वैशाली।